>

Title: Need to conduct an inquiry into the reported alteration of 'Civil Aviation Requirements Rules'.

श्री अशोक अर्गल (भिंड): भारत विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रशिक्षण की निगरानी संबंधित नियम ""सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट"" जारी करके बदल दिया गया एवं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग के अधिकार चीफ पाइलेट इंस्ट्रक्टर को दे दिए गए हैं। संसद द्वारा जारी नियम में बदलाव संसद ही कर सकती है।

अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का संशोधन एवं बदलाव असंवैधानिक है। इसकी जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। महानिदेशालय द्वारा नियम बदलने की बात मेरे द्वारा पूछे अतारांकित प्रश्न 4892, दिनांक 09.12.10 में स्वीकार की गई है।